निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 08/2024
दायरा दिनांकः—26.03.2024
निर्णय दिनांकः— 01-7-24

उनवान

1. बाबूलाल आयु 55 साल पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम बरबटखेडी तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः— 01-7-24
अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भानु कुमार गुप्ता— प्रार्थीगण

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि खाता संख्या 72 खसरा नम्बर 197 रकबा 6.8164 है0 वादी के शामलाती खाते व कब्जे काश्त में वाके माल बरबटखेडी तहसील छबडा में स्थित है खाता में वादी का नाम राजस्व विभाग कर्मचारियों की गलती गफलत एवं लापरवाही से बाबूलाल के स्थान पर बाबूलाल उर्फ झब्बु दर्ज हो गया है। वादी के शामलाती खाते व कब्जे काश्त के खाता संख्या नया 72 के खसरा नम्बर 197 रकबा 6.8164 है0 वाके माल बरबटखेडी तहसील छबडा में नाम बाबूलाल उर्फ झब्बु दर्ज हो चुका है उसको दुरूस्त कर न्याय हित में बाबूलाल दर्ज अमल दरामद होना अति आवश्यक है। वादी की समस्त रिकार्ड आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैक पास बुक आदि में भी एकमात्र बाबूलाल नाम दर्ज है। खाते में वादी का नाम सही एवं दुरूस्त होकर झब्बु के स्थान पर बाबूलाल दर्ज कर खातों में सही इन्द्राज होना अति आवश्यक है वादी के सभी आवश्यक कार्य उक्त गलती के कारण से रूके हुये है। वादी उक्त खातो मे नाम दुरूस्तीकरण हेतु प्रतिवादी के कार्यालय में दिनांक 5 मार्च 2024 को लिखित प्रार्थना पत्र लेकर प्रस्तुत हुआ तो प्रतिवादी के द्वारा वादी को श्रीमान के न्यायालय के वाद दायर कर आदेश लाने की सलाह दी। वादी ... बाबूलाल उर्फ झब्बु के स्थान पर सही नाम बाबूलाल दर्ज नही हुआ तो भविष्य में अनेकानेक वाद विवादो में उलझना पडेगा जिसकी पूर्ति अर्थ से नही की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.17 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बरबटखेडी सम्वत् 2075—78 खाता संख्या 72 नकल जमाबन्दी ग्राम बरबटखेडी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 84 फोटो प्रति बैंक पास बुक, फोटो प्रति आधार कार्ड बाबूलाल कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बरबटखेडी तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलती से बाबूलाल के स्थान पर बाबूलाल उर्फ झब्बु दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में बाबूलाल दर्ज है प्रार्थी अपना नाम बाबूलाल उर्फ झब्बू के स्थान पर बाबूलाल दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी को राज्य सरकार से होने वाली सहायता से वंचित रहना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बरबटखेडी तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 72 एवं सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 84 में प्रार्थी का नाम बाबूलाल उर्फ झब्बु दर्ज है प्रार्थी का नाम झब्बु के स्थान पर बाबूलाल पुत्र किशनलाल एवं बाबूलाल उर्फ झब्बु राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थी के नाम उर्फ लगा कर पूर्व में ही संशोधन किया जा चुका है प्रार्थी बार–बा रनाम दुरूस्त कराने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में उर्फ लगा क रनाम दुरूस्त हो रहा है प्रार्थी के नाम के संबंध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया खाता संख्या 72 खसरा नम्बर 197 में प्रार्थी का नाम झब्बु दर्ज था जिसे प्रार्थी द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान झब्बु के स्थान पर बाबूलाल उर्फ झब्बु पुत्र किशनलाल उर्फ किशना स्वंय की इच्छा से दर्ज राजस्व रिकार्ड कर लिया जिसका नामान्तरण नम्बर 404 दिनांक 17.11.2021 से कर दिया गया है प्रार्थी पुनः बाबूलाल उर्फ झब्बु के स्थान पर बाबूलाल दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी को झब्बु व बाबूलाल दोनो नामों से जाना जाता है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से प्रार्थी का नाम पूर्व में ही दुरूस्त किया जा चुका है परन्तु झब्बु उर्फ बाबूलाल दर्ज हुआ है जिसमें प्रार्थी सम्मानजनक नाम बाबूलाल दर्ज करवाना चाहता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बरबटखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 197 रकबा 6.1864 है0 में दर्ज बाबूलाल उर्फ झब्बु के स्थान पर बाबूलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.09.17 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)

उपखण्ड अधिकारी, छबडा